हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 27 अगस्त, 2024

संख्या वि0स0–विधायन– विधेयक/1-68/2024.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 जो आज दिनांक 27 फरवरी, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2024 का विधेयक संख्यांक 4

बाल–विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 3 का संशोधन।
4. धारा 18–क का अंतःस्थापन।
5. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

———————

2024 का विधेयक संख्यांक 4

बाल–विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 6) का संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.**––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल–विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (15 of 1872) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936;? (3 of 1936) मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 (26 of 1937) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (43 of 1954) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (25 of 1955) या विवाह के संबध में अपनाई जा रही किसी विधि या प्रथा या रूढ़ि या व्यवहार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के प्रतिकूल या उसके असंगत होते हुए भी यह हिमाचल प्रदेश के राज्य क्षेत्र में अधिवासित सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।

(3) इस अधिनियम की यह धारा, धारा 2 के खण्ड (ii) और धारा 4 तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगी और शेष उपबन्ध उनके अधिनियमन की तारीख से दो वर्ष के समापन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के संबंध में ऐसे किसी उपबंध में किसी संदर्भ का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के संदर्भ में लगाया जाएगा।

2. **धारा 2 का संशोधन.**——बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(क) "बालक" से, ऐसा पुरुष या नारी अभिप्रेत है, जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है,";

(ii) खण्ड (ख) में "दोनों पक्षकारों में से" शब्दों के पश्चात् '',पक्षकारों को शासित करने वाली किसी प्रथा या रूढ़ि या व्यवहार सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल या असंगत होते हुए भी," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. **धारा 3 का संशोधन.**——"मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (3) में,– "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

4. **धारा 18–क का अंतःस्थापन.**——मूल अधिनियम की धारा 18–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"18–क. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.–इस अधिनियम के उपबन्धों का, पक्षकारों को शासित करने वाली किसी प्रथा या रूढ़ि या व्यवहार सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल या असंगत होते हुए भी प्रभाव होगा।"।

5. **कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन.**——अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उनमें वर्णित रीति में संशोधन किया जाएगा।

अनुसूची
(धारा 5 देखें)

क्रम संख्या	वर्ष	अधिनियम संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1872	15	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872.	धारा 60 के खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:– "(1) विवाह का आशय रखने वाले पुरुष और स्त्री की आयु इक्कीस वर्ष से

				कम नहीं होगी;”;
2.	1936	3	पारसी विवाह और विच्छेद–अधिनियम, 1936.	(क) धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में ”वह महिला है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है” शब्दों के स्थान पर ”वह महिला है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है” शब्द रखे जाएंगे। (ख) द्वितीय अनुसूची में, ”यदि विवाह के पक्षकार 21 वर्ष से कम आयु के हैं तो उनके पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर” पद का लोप किया जाएगा।
3.	1954	43	विशेष विवाह अधिनियम, 1954.	धारा 4 के खण्ड (ग) में ”अठारह वर्ष” शब्दों के स्थान पर ”इक्कीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।
4.	1955	25	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955.	(क) धारा 5 के खण्ड (iii) में ”अठारह वर्ष” शब्दों के स्थान पर ”इक्कीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे। (ख) धारा 13 की उप–धारा (2) के खण्ड (iv) में ”अठारह वर्ष” शब्दों के स्थान पर ”इक्कीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को बाल विवाह अनुष्ठान सम्पन्न कराने और तत्संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों को प्रतिषिद्ध करने के लिए उपबंधित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। आधुनिक युग में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। तथापि, बाल विवाह न केवल उनके व्यवसाय की प्रगति में बल्कि उनके शारीरिक विकास में भी बाधक है। लैंगिक समानता और उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों के लिए उपबंध करने हेतु बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधन किया जाना तथा बालिकाओं के लिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल)
प्रभारी मंत्री।

शिमलाः
तारीखः ...., 2024

———————

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

—————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

——————————

बाल—विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू बाल—विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल)
प्रभारी मंत्री।

————————

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः ...., 2024

———————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 4 OF 2024

THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title, application and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 3.
4. Insertion of section 18A.
5. Amendment of certain enactments.

BILL NO. 4 OF 2024

THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, application and commencement .—(1) This Act may be called the Prohibition of Child Marriage (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2024.

(2) It shall apply to all persons domiciled in the territory of the State of Himachal Pradesh notwithstanding anything contrary or inconsistent therewith contained in the Indian Christian Marriage Act, 1872 (15 of 1872) the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 (3 of 1936) the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937 (26 of 1937) the Special Marriage Act, 1954 (43 of 1954) the Hindu Marriage Act, 1955 (25 of 1955) or any other law or custom or usage or practice in relation to marriage, under any other law for the time being in force.

(3) This section, clause (ii) of section 2 and section 4 shall come into force immediately and the remaining provisions shall come into force on the date of completion of two years from the date of its enactment and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (hereinafter referred to as the "principal Act"),-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) "child" means a male or female who has not completed twenty-one years of age;"; and

(ii) in clause (b), after the words "is a child", the words "notwithstanding anything to the contrary or inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, including any custom or usage or practice governing the parties" shall be inserted.

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principle Act, in sub-section (3), for the words "two years", the words "five years" shall be substituted.

4. Insertion of section 18-A.—After section 18 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"18A. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything contrary or inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, including any custom or usage or practice governing the parties.".

5. Amendment of certain enactments.—The enactments specified in THE SCHEDULE shall be amended in the manner mentioned therein.

THE SCHEDULE

(*See* section 5)

Sl. No.	Year	Act No.	Short title	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1872	15	The Indian Christian Marriage Act, 1872.	In section 60, for clause *(1)*, the following clause shall be substituted, namely:— "*(1)* the age of the man and woman intending to be married shall not be under twenty-one years;".
2.	1936	3	The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936	*(a)* in section 3, in sub-section *(1)*, in clause *(c)*, for the words "female, has not completed eighteen years of age", the words "female, has not completed twenty-one years of age" shall be substituted. *(b)* in Schedule II, the expression "Signatures of the fathers or guardians of the contracting parties under 21 years of age"

				shall be omitted.
3.	1954	43	The Special Marriage Act, 1954	In section 4, in clause *(c)*, for the words "eighteen years", the words "twenty-one years" shall be substituted.
4.	1955	25	The Hindu Marriage Act,1955	*(a)* in section 5, in clause *(iii)*, for the words "eighteen years", the words "twenty-one years" shall be substituted. *(b)* in section 13, in sub-section (2), in clause *(iv)*, for the words "eighteen years", the words "twenty-one years" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 was enacted to provide for the prohibition of solemnisation of child marriages and for matters connected therewith or incidental thereto. In today's world the women are progressing in every field. The early marriages, however, act as a hindrance not only in the progress of their career but also in their physical development. In order to provide for gender equality and opportunities of obtaining higher education, it has become necessary to increase the minimum age of marriage for the girls. Thus, it is proposed to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 and other related Acts in their application to the State of Himachal Pradesh and increase the minimum age for marriage for girls to 21 years.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(DR. (COL.) DHANI RAM SHANDIL)
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The……………..2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

— Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

— Nil—

THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007) in its application to the State of Himachal Pradesh.

(DR. (COL.) DHANI RAM SHANDIL)
Minister-in-*Charge.*

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:
The…………, 2024